



दैनिक जागरण  
11 अगस्त 2020  
नगर संस्करण  
पृष्ठ 14

# दैनिक जागरण

PAGE NO. 13 : BOTTOM MIDDLE

## नीट पीजी-20 की रिक्त कोटा सीटों पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, आइएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2020 के तहत अखिल भारतीय कोटा (एआइक्यू) की उन 3373 सीटों की आगे आकर घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जो अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद चयनित/ शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों ने खाली छोड़ दी थीं। याचिका में कहा गया है कि नीट-पीजी परीक्षा के अनुसार योग्यता के क्रम में इन सीटों को भरा जाए। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।